न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–156/2026
खगड़िया (गंगौर) थाना काण्ड सं0–141/20
रबिन्द्र यादव एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

पश्चात्
16.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **1. रबिन्द्र यादव एवं 2. राजकुमार यादव** की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री मनोज कुमार के द्वारा संचालित किया गया। मामला जमानत के दुरूपयोग का है। पुकार पर आवेदकगण उपस्थित हुए, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदकगण पूर्व में जमानत पर थे तथा उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 10.09.205 को खण्डित हो गया है। आवेदकगण के द्वारा जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अब उनकी ओर से ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक निर्धारित तिथि को सदेह उपस्थित रहने का वचन देते हैं। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण इस वाद में पूर्व में जमानत पर थे तथा अभिलेख प्रतिलिपि हेतु निर्धारित था तथा उन्हें मामले में सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था, इसके बावजूद भी, जब वे न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित नहीं हुए तो उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 10.09.2025 को विखण्डित कर दिया गया। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया है कि

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0-156/2026
खगड़िया (गंगौर) थाना काण्ड सं0-141/20

लगातार
16.03.2026

उनके द्वारा जान-बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अब भविष्य में ऐसी गलती करेंगे तथा प्रत्येक निर्धारित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे। आवेदक/अभियुक्तगण आज स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं। आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पुलिस कागजात प्राप्त कर लिया गया है तथा आज मामले में, उनके विरूद्ध आरोप का गठन किया कर लिया गया है, ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को मो0-10,000/-(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध-पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम-सह-
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	16.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	17.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (D.E.O)